न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. – 186 / 2017

1. सत्यनारायण पुत्र कुरड़ाराम जाति, खटीक निवासी वार्ड नं. 6, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राजस्थान। .... दौराने दावा मृतक
1/1. मिष्म पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 6, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
1/2 विजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 6, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
1/3 ललीत पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 6, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
1/4 सुमन पुत्री सत्यनारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 6, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
1/5 श्रीमती प्रेमलता बेवा सत्यनारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 6, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. जुगल किशोर पुत्र बंशीराम जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2. रामजीलाल पुत्र बंशीराम जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3. ताराचन्द पुत्र झुथा जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4. भोलाराम पुत्र झुथा जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5. फूला पुत्र झुथा जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6. जुगल पुत्र हनुमान जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7. महेश पुत्र हनुमान जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8. बद्रीप्रसाद पुत्र धन्नाराम जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9. रामनारायण पुत्र धन्नाराम जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10. फूलचन्द पुत्र माडु जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11. बाबुलाल पुत्र माडु जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12. संतलाल पुत्र चौखा जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13. सांवरमल पुत्र चौखा जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14. घीसाराम पुत्र चौखा जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15. रामवतार पुत्र फूला जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
16. विनोद पुत्र माडु जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
17. बाबुलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
18. किशोरीलाल पुत्र सीताराम जाति मेघवाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
19. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner

20. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व खाता विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 24.01.2023

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसील सूरजगढ़ में भूमि पुराना खसरा नं. 667 रकबा 23 बीघा 4 बिश्वा वाके मौजा सूरजगढ़ स्थित रहा है। इस जमीन के नये सैटलमैन्ट में नये खसरा नं. 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223 व 1228 वाके मौजा सूरजगढ़ बने है। उक्त पुराना खसरा नं. 667 रकबा 23 बीघा 4 बिश्वा में से 4 बीघा जमीन का खातेदार कश्तकार पहले वादी का दत्तक पिता कुरड़ाराम था तथा ताजीवन काबिज खातेदार काश्तकार रहा तथा अपनी इस जमीन का लगान अदा करता रहा। उक्त कुरड़ाराम का देहान्त हो जाने के बाद यह जमीन वादी को विरासत में मिली तथा अपने हक हिस्से की उक्त 4 बीघा पक्की जमीन का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। 4 बीघा जमीन 1.012 हैक्टर जमीन के बराबर होती है। भूमि खसरा नं. 1222 रकबा 0.97 हैक्टर व भूमि खसरा नं. 1223 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.24 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर जमीन पर पहले उक्त कुरड़ाराम काबिज खातेदार काश्तकार था तथा उक्त कुरड़ाराम के देहान्त के बाद वादी इस 1.012 हैक्टर जमीन पर काबिज खातेदार काश्तकार हुआ। उक्त जमीन को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पहले से ही उक्त कुरड़ाराम काश्त करता था। उक्त कुरड़ाराम ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागु होने के बाद इस जमीन का लगान जमा करवाया, इसलिए उक्त कुरड़ाराम का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज होना चाहीए था। इस जमीन की शूरू की जमाबन्दीयों में ही अन्य गैर खातेदारों के साथ उक्त कुरड़ाराम का नाम भी गलत रूप से गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया था। उक्त कुरड़ाराम के देहान्त के बाद वादी का नाम भी गलत रूप से गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया जो लगातार गलत ही चला आ रहा है। वादी उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी को नियमानुसार भूमि खसरा नं. 1222 रकबा 0.97 हैक्टर में से रकबा 0.742 हैक्टर व खसरा नं. 1223 रकबा 0.27 हैक्टर का गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादी अपनी उक्त जमीन पर सींव डोल कर काबिज है तथा वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 18 ने आपसी सहुलियत से जमीन का बाहमी बंटवारा कर रखा है इस बंटवारा के अनुसार ही उक्त भूमि वादी के हक हिस्से में आई हुई है। आगे वादी ने अपने दावा में कथन किया है कि कुछ गैर खातेदारों ने अपने हिस्से की जमीन को तथा कुछ ने अपने हिस्से से अधिक जमीन को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा कर अलग कर ली है। विवादित जमीन के खातेदार तेजाराम वल्द माला उर्फ मन्ना का देहान्त नाऔलाद हो गया है। इस प्रकार इस जमीन वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र का राजस्व अभिलेख भी गलत बना हुआ है। वादी अपनी इस जमीन का खाता विभाजन करवा कर अलग से लगान कायम करवाने का अधिकारी है।

वाद पत्र के लिए कारण दावा दिनांक 18.02.2017 को हल्का पटवारी द्वारा विवादित जमीन के सम्बन्ध में खातेदार घोषित होने के लिए न्यायालय के समक्ष दावा पेश करने की सलाह दी, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। प्रतिवादी नं. 19 व 20 को नियमानुसार पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

[redacted] अधिकारी [redacted]

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) यह कि इस्तकरारहक इस अमर का फरमाया जावें कि भूमि खसरा न0 1222 रकबा 0.97 हैक्टर में से रकबा 0.742 हैक्टर व खसरा नं0 1223 रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.012 हैक्टर जमीन वाके मौजा सूरजगढ़ का वादी खातेदार काश्तकार है व काबिज है। तेजाराम वल्द माला उर्फ मन्ना का नाऔलाद देहान्त हो जाने के कारण इस जमीन के राजस्व रिकार्ड में से उसका नाम हजफ किया जाने का आदेश फरमाया जावें। इसके विपरित इस जमीन का राजस्व रिकार्ड अवैध है तथा वादी के इस जमीन जैर बहस के बाबत हक अधिकारों के विपरित शून्य व बेअसर है तथा काबिले दुरूस्ती है जिसे दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) यह कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का बंटवारा कर इस प्रकार से खाता विभाजन कर दिया जावें की वादी को भूमि खसरा न0 1222 रकबा 0.97 हैक्टर में से रकबा 0.742 हैक्टर व खसरा नं0 1223 रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.012 हैक्टर जमीन मिले तथा वादी की इस जमीन का अलग से लगान कायम किया जाकर अलग से जमाबन्दी खसरा गिरदावरी आदि बनाये जाने के आदेश तहसीलदार सूरजगढ़ को दिया जावें।

(ग) यह कि खर्चा दावा दिलवाया जावें।

(घ) यह कि अन्य सिद्वी जो वादी के हक में हो तथा भूल या गलती से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फायदा देकर दिलवाया जावें।

दिनांक 18.10.2017 को दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। बाद तामिल नियत तारिख पेशी पर प्रतिवादीगण की गैरहाजरी होने पर उनके खिलाफ दिनांक 20.07.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने दावा वादी सत्यनारायण का देहान्त हो जाने पर विधिनुसार उसके वारिसान को दावा के रिकार्ड पर बतौर वादीगण लिया गया। वादीगण की ओर से दिनांक 16.12.2022 को अपनी मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र बयान खास पी. डब्लू –1 श्रीमती प्रेमलता व शपथ पत्र बयान खास पी. डब्लू – 2 विजेन्द्र के पेश किये तथा वादीगण की ओर से अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 तक प्रदर्श – 1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 तक प्रदर्श – 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 तक प्रदर्श – 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 तक प्रदर्श – 5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 तक प्रदर्श – 6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 तक प्रदर्श – 7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 तक प्रदर्श – 8, नकल नक्शा सीट पुरानी सन् 1936 – 1937 प्रदर्श – 9, नकल नक्शा सीट नई सन् 1978 – 1979 प्रदर्श – 10, असल रसीद लगान सम्वत 2011 प्रदर्श – 11, असल रसीद लगान सम्वत 2015 प्रदर्श – 12, असल रसीद लगान सम्वत 2017 प्रदर्श – 13, असल रसीद लगान सम्वत 2018 प्रदर्श – 14 पेश किये। इसके पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। भूमि पुराना खसरा नं. 667 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा जमीन का पहले वादी का पिता खातेदार काश्तकार था तथा टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आते ही बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादी का पिता उक्त कुरड़ाराम विवादित जमीन का खातेदार हो गया था। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि समय-समय पर लगान जमा करवाया गया है। विधिनुसार जमीन का लगान खातेदार ही जमा करवाता है। इस जमीन के कुछ अन्य खातेदारान को गैर खातेदार से खातेदार घोषित बहुत पहले किया जा चुका है। उक्त कुरड़ाराम के देहान्त के बाद वादी जमीन पर काबिज काश्तकार रहा तथा वादी के देहान्त के बाद विवादित जमीन पर वादी के वारिसान वादीगण न. 1/1 लगायत 1/5 का कब्जा काश्त है। इस जमीन का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से वादी के नाम से गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। इसलिए भूमि खसरा न0 1222 रकबा 0.97 हैक्टर में से रकबा 0.742 हैक्टर व खसरा नं0 1223 रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.012 हैक्टर जमीन वाके मौजा सूरजगढ का खातेदार काश्तकार वादी के स्थान पर वादी के वारिसान वादीगण न. 1/1 लगायत 1/5 को घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा तेजाराम वल्द माला उर्फ मन्ना का नाम नाऔलाद फौत हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 1222 रकबा 0.97 हैक्टर में से रकबा 0.742 हैक्टर व खसरा नं0 1223 रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.012 हैक्टर जमीन वाके मौजा सूरजगढ़ का वादी के स्थान पर उसके वारिशान वादीगण नं. 1/1 लगायत 1/5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तेजाराम वल्द माला उर्फ मन्ना का नाम इस जमीन के राजस्व रिकार्ड में से हजफ किया जाता है। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी मुर्तिब हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 186/2017

निर्णय दिनांक :–24-01-2023

सत्यनारायण <u>बनाम</u> जुगल किशोर वगै0

<u>दावा बाबत इस्तकरारहक व खाता विभाजन</u>

वादी की ओर से **श्री सुनील कुमार शर्मा एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **24..01.2023** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 1222 रकबा 0.97 हैक्टर में से रकबा 0.742 हैक्टर व खसरा नं0 1223 रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.012 हैक्टर जमीन वाके मौजा सूरजगढ़ का वादी के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण नं. 1/1 लगायत 1/5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तेजाराम वल्द माला उर्फ मन्ना का नाम इस जमीन के राजस्व रिकार्ड में से हजफ किया जाता है। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **24.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner